श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरे लोक सभा क्षेत्र महू में कैंटोनमेंट एरिया है। उसकी अपनी एक अलग स्थिति है। वर्ष 1924 में होलकर स्टट ने कैंटोनमेंट स्थापित करने के लिए जगह दी थी। उसके साथ-साथ, वहां उपनगरीय बस्ती भी बसती चली गई। आज उस क्षेत्र में भारी समस्या आ रही है। वहां के रक्षा सम्पदा अधिकारी (डिफस एस्टट ऑफीसर) ने करीब 1000 लोगों को एविक्शन के नोटिसेस इश्यू किए हैं। ये नोटिसेस पब्लिक प्रमिसेस एविक्शन अनऔथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट, 1971 के अन्तर्गत दिए गए हैं। इसलिए पूरे महू नगर में असंतोष व्याप्त है। मेरा कहना है कि सरकार ने कुछ बंगल रिजव किए थे। हमेशा होता रहा है कि कैंटोनमेंट के द्वारा कुछ जगह आक्यूपाई की जाती है। ऐसे कुछ बंगले जो रिजर्व किए थे, उनके केसेस चल रहे हैं, उन पर स्ट दे दिया है, लेकिन रक्षा सम्पदा अधिकारी ने ये नए नोटिसेस दिए हैं जिससे पूरे कैंटोनमेंट क्षेत्र में एक समस्या उत्पन्न हो गई है। वहां बसे नगर में नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की अनमति नहीं मिलती है। अपने मकान् के सुधार या मरम्म्त (रिपेयर) की भी अनमति नहीं मिलती है। ये जो 1000 हजार मकान बने हैं, ये कोई एक साल में तो नहीं बने। इन्हें बनने में 20-25 साल लग गए होंगे। इसलिए मैं मांग करती हूं कि सिविल एरिया को बढ़ाना चाहिए, ताकि वहां जो नागरिक बस रहे हैं, उन्हें कैंटोनमेंट के कारण कोई तकलीफ न हो। यह समस्या सभी कैंटोनमेंट एरियाज में है, लेकिन चूंकि मेरे यहां यह हो रहा है इसलिए वहां कठिनाई ज्यादा हो रही है। अतः पहली तो सिविल एरिया को बढ़ाने की बात है और दूसरी अवैध निर्माण को रैगुलराइज करने की बात की जाए, भले ही कुछ कंपाउंडिंग कर के रैगुलराइज किया जाए तथा तीसरी बात इनको नगर पालिकाएं बनाने की दृष्टि से भी अगर कुछ सोचते हैं, तो वह करें। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वे इस बारे में कुछ उत्तर दे दें, तो बहुत अच्छा है। .(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, .(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सबको एक साथ बोलने का मौका कैसे दे सकते हैं ? आप आध मिनट के लिए धीरज रखिए। Okay, you have made your position clear. Please sit down. You have made your point.

. (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI BIJOY HANDIQUE): Sir, eviction has been stayed; and there is no eviction.

MR. SPEAKER: Okay, eviction has been stayed.

SHRI BIJOY HANDIQUE: Issuance of notices is there. We are examining the matter. . (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I will not permit anybody speaking without my permission.

. (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nobody's speech, howsoever high and mighty he may be, will be recorded.

(Interruptions) .*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, .(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I will not allow you. You have not given any notice.

(Interruptions) .*

MR. SPEAKER: Prabhunathji, nothing is being recorded.

(Interruptions) .*